न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 73/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/160

प्रार्थी:– सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम विगंरला तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–
1. धनराज पुत्र गंगाजी जाति मेघवाल निवासी विंगरला, तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत वरकाणा, तहसील रानी, जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वरकाणा के आदेश दिनांक 03.08.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 52 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी अपनी नजूल सम्पत्ति में जारी नहीं करके आबादी भूमि से भिन्न खसरा संख्या 246 किस्म बारानी दोयम में जारी किया है। उक्त कृषि भूमि ग्राम पंचायत के नाम पूर्ण संस्था के लिए रिर्जव रखी गई है। उक्त भूमि में अतिक्रमण करने वाले के विरूद्ध ग्राम के नागरिकों द्वारा तहसीलदार रानी, देसूरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिस पर अतिक्रमीयों को वहां से हटाने हेतु नोटिस दिये गये परन्तु अप्रार्थी प्रश्नगत पट्टे की आड़ में मौके पर काबिज है। उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत में न कोई रेकर्ड है और न ही पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 03.09.1981 में प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा आवेदन प्राप्त होना बताया। प्रकरण में भूमि निरीक्षण प्रपत्र जो बनाया गया है, जिसमें मात्र तारीख का अंकन किया हुआ है। आवेदनकर्त्ता ने न तो प्रस्तावित भूमि का नक्शा पेश किया, न ही पड़ौस अंकित किये, न आपत्ति इश्तिहार जारी किया, न ही बयान लिये गये और न ही मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज

अति. जिला कलेक्टर पाली

नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वरकाणा के आदेश दिनांक 03.08.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 52 के विरूद्ध पेश की है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1981 में निःशुल्क जारी किया गया है, जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 267 के अन्तर्गत आता है। नियम 267 (2) के अनुसार पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके गृह बह गये है अथवा गृह स्थल बाढ़ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्ग गज तक आबादी भूमि गाँव की आबाद में मुफ्त आवंटित कर सकेगी। प्रश्नगत पट्टा नियम 267 की मूल मंशा के पूर्णतः विपरीत जारी किया गया है, नियम का उद्देश्य केवल ऐसे आवासविहीन, भूमिहीन, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आबादी भूमि उपलब्ध कराना है जिनके पास स्वयं का कोई गृहस्थल अथवा आवास उपलब्ध न हो। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि वे पात्र लाभार्थियों की पात्रता सूची तैयार कर, प्रत्येक लाभार्थी की जांच कर यह सुनिश्चित करती कि लाभार्थी एससी, एसटी, बी.पी.एल. वर्ग से सम्बन्धित हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी हो औरं पूर्व में किसी सरकारी आबादी/आवास योजना का लाभ न लिया हो परन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई भी प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनाई गई अर्थात् न तो कोई पात्रता सूची तैयार की गई, न पात्रता का परीक्षण किया गया और न ही आवासहीनता की पुष्टि की गई। यह स्थिति दर्शाती है कि पट्टे यांत्रिक, मनमाने एवं विधिविरूद्ध तरीके से जारी किये गये। साथ ही प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी किया गया है अथवा किसी अन्य भूमि में इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि कृषि है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा संन्दर्भित निमयों का सहारा लेकर जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया है वे नियम के तहत पात्र ही नहीं थे, उनके पक्ष में पट्टा जारी करना नियम का दुरूपयोग तथा यह कृत्य सार्वजनिक संसाधनों के मनमाने वितरण के समान है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में पत्रावली का दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पंचायत के समक्ष गंगा द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाड़ा बनाने के लिये प्लॉट दिलाये जाने हेतु पेश किया गया, जिस पर सरपंच द्वारा यह रिपोर्ट अंकित की गई कि "प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 01.08.81 एक प्लॉट निःशुल्क दिया गया।" पत्रावली पर उपलब्ध आज्ञाओं की सूची दिनांक 03.08.81 के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 01.08.81 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

आदेशिका के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होना अंकित करते हुये पट्टा जारी किया गया जबकि उक्त आदेशिका एक निर्धारित प्रारूप में कार्बन प्रति है जिस पर पट्टाधारक का नाम पृथक से काले स्याही के पेन से अंकित किया गया है। यह तथ्य आदेश की पारदर्शिता एवं मौलिकता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है। साथ ही भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में समस्त कार्यवाही रिक्त है, जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा कोई राय नहीं दी गई है तथा मौका निरीक्षण प्रपत्र में केवल दो पंचों के हस्ताक्षर है जबकि पंचायत नियमों के अनुसार तीन पंचों की गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में मिसल संख्या 52 दर्ज दिनांक 01.08.81 एवं फैसल दिनांक 04.08.81 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 01.08.81 को किया जाता है और प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 01.08.81 को ही निःशुल्क पट्टा जारी किये जाने के आदेश दे दिये जाते है यानि अप्रार्थी द्वारा जिस दिन आवेदन किया जाता है उसी दिन प्रश्नगत भूमि का नक्शा एवं मौका निरीक्षण कर उसी दिन प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है जबकि नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दर्ज कर भूमि का नक्शा बनाने और तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण के आदेश जारी किये जाता है उसके पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति इश्तिहार जारी कर पट्टा जारी करने के आदेश जारी किये जाते है जबकि हस्तगत प्रकरण में उसी दिन निःशुल्क प्रश्नगत पट्टा जारी करने के प्रस्ताव पारित कर दिया, जो कि विधिविरूद्ध है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड वर्तमान में ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उंच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वरकाणा के आदेश दिनांक 03.08.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 52 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली